प्रेषक, **संख्या-** 18/2015/ **568/60-3-14-1(4)/12**

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2015**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग के लिये प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग के पत्र संख्या-84/रा0म0आ0/लेखा/बजट-641/2015-16 दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 20105-16 के लिये पारित बजट के अन्तर्गत अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-103-महिला कल्याण-20-राज्य महिला आयोग को अनुदान के अन्तर्गत मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0-1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत आधी धनराशि अर्थात रू0-50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) तथा मद संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के मद में प्रावधानित समस्त धनराशि रू0-2,25,50,000.00 (रूपये दो करोड़ पचीस लाख पचास हजार मात्र) अर्थात कुल रू0-2,75,50,000.00 (रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों क अधीन निम्नानुसार स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मद संख्या	
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	50,00,000.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	2,25,50,000.00

	2,75,50,000.00
	---

(1) व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जाये तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यक होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों के कार्यान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।

(3) बचनबद्ध मदों के अतिरिक्त मितव्ययिता सम्बन्धी मदों में व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

(4) आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्त पुस्तिका के संगत नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का आहरण करके उ0प्र0 राज्य महिला आयोग को किया जायेगा। यह अथवा इसका कोई भाग किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। संबंधित बिल निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। उसका आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) इसका उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 359 एफ के अनुसार दिनांक 31.03.2015 तक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(7) इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-103-महिला कल्याण-20-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा मद संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

संख्या-568(1)/60-3-15, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य महिला आयोग, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।